पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 210/2017

अनवान :

1. सूरज आयु 1–1/2 वर्ष
2. कोमल आयु 4 वर्ष पुत्र/पुत्री जयप्रकाश जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा नाबालिगान जरिये इष्ट मित्र माता सोनिया पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
3. सोनिया पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
3. एसबीबीजे वर्तमान एसबीआई शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई भिरानी तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री लिलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 जेएसएल के खाता सं0 150 के मु0नं0 20 के किला नं0 1 व 2 की 5.566 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी जयप्रकाश के नाम 1/4 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 151/149 के मु0नं0 56 के किला नं0 10/1, 11, 12/1, 13/2, 18 ता 23 मु0नं0 78 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 22 व 23 की कुल 3.467 है0 नहरी में प्रतिवादी जयप्रकाश के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 सीएचएन खाता सं0 65 के मु0नं0 24 किला नं0 22, मु0नं0 27 किला नं0 2, 15, 16, 17/1, 23, 24 मु0नं0 44 के किला नं0 3 व 4 कुल 6.957 है0 में प्रतिवादी जयप्रकाश के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादीगण सं0 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि एसबीबीजे (एसबीआई) बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही वाद कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। वादपत्र में वर्णित शेष कृषि भूमि जयप्रकाश के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट भादरा (हनुमानगढ़)

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 210/2017

अनवान :

1. सूरज आयु 1–1/2 वर्ष
2. कोमल आयु 4 वर्ष पुत्र/पुत्री जयप्रकाश जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा नाबालिगान जरिये इष्ट मित्र माता सोनिया पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
3. सोनिया पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
3. एसबीबीजे वर्तमान एसबीआई शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई भिरानी तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक एवं दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री लीलाधर अग्रवाल : वादी

निर्णय **दिनांक : 30-08-2018**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 जेएसएल के खाता सं0 150 के मु0नं0 19 के किला नं0 1 ता 4, 6 ता 15, 18 ता 23 मु0नं0 20 के किला नं0 1 व 2 की 5.566 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी जयप्रकाश के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा इसी प्रकार चक 3 जेएसएल के खाता सं0 151/149 के मु0नं0 56 के किला नं0 10/1, 11, 12/1, 13/2, 18 ता 23 मु0नं0 78 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 22 व 23 की कुल 3.467 है0 नहरी में प्रतिवादी जयप्रकाश के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 सीएचएन खाता सं0 65 के मु0नं0 5 किला नं0 6, 7, 14 ता 25 मु0नं0 24 किला नं0 22, मु0नं0 25 के किला नं0 3 ता 7, मु0नं0 27 किला नं0 2, 15, 16, 17/1, 23, 24 मु0नं0 44 के किला नं0 3 व 4 कुल 6.957 है0 में प्रतिवादी जयप्रकाश के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो पहले वादीगण सं0 1 व 2 के दादा भुराराम की खातेदारी हुआ करती थी। भुराराम के देहान्त होने पर भुराराम की उक्त खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादी जयप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई परन्तु वादभूमि कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा प्रतिवादी जयप्रकाश ने अपने नाम से दर्ज करवा रखी है। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण सं0 1 व 2

दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 सोनिया के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 3 जेएसएल खाता सं0 151/149 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 6 सीएचएन खाता सं0 65/93 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 3 जेएसएल सम्वत् 2059 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 6 सीएचएन सम्वत् 2058 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम आसन सम्वत् 2057 से 60 प्रदर्श 5, सत्यप्रतिलिपि प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम आसन खाता 65/15 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 6, 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि भुराराम के देहान्त होने पर भुराराम की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादी जयप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई थी, परन्तु वादभूमि कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा प्रतिवादी जयप्रकाश ने अपने नाम से दर्ज करवा ली। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण सं0 1 व 2 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 3 जेएसएल व 6 सीएचएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता व पति के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 3 जेएसएल सम्वत् 2059 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 6 सीएचएन सम्वत् 2058 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम आसन सम्वत् 2057 से 60 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादीगण के दादा भुराराम के नाम दर्ज है जिससे वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार चक 3 जेएसएल के खाता सं0 151/149 के मु0नं0 56, 78 व चक 6 सीएचएन के खाता सं0 65/93 के मु0नं0 24, 27, 44 व ग्राम आसन की वाद भूमि पैत्रक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। चूंकि खतौनी जमाबन्दीयात में प्रतिवादी सं0 1 जयप्रकाश के दादा का गोरधन, गोधु व मोटू दर्ज है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने सरपंच ग्राम पंचायत गढीछानी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें उन्होने मोटा उर्फ गोधुराम व गोवर्धन एक ही व्यक्ति के तीन नाम होना अंकित है व मृत्यु प्रमाण पत्र की चित्र प्रति पेश की है जिसमें भी गौरधन उर्फ मोटाराम नाम अंकित है, प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात से मात्र गोधुराम व गोवर्धन ही एक व्यक्ति के दो नाम होना प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में वादिया सोनिया पत्नी जयप्रकाश ने भी वाद कृषिभूमि में अपने हकों की घोषणा चाही है किन्तु हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार केवल पुत्र पुत्रियों को ही पैत्रक भूमि में जन्म से अधिकार प्राप्त होता है। किसी भी हिन्दू महिला को उसके जीवनकाल में पति की सम्पति में कोई हक प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार वाद वादीगण आंशिक तौर पर साबित है।

अत : वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 जेएसएल के खाता सं0 150 के मु0नं0 20 के किला नं0 1 व 2 की 5.566 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी जयप्रकाश के नाम 1/4 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 151/149 के मु0नं0 56 के किला नं0 10/1, 11, 12/1, 13/2, 18 ता 23 मु0नं0 78 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 22 व 23 की कुल 3.467 है0 नहरी में प्रतिवादी जयप्रकाश के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 सीएचएन खाता सं0 65 के मु0नं0 24 किला नं0 22, मु0नं0 27 किला नं0 2, 15, 16, 17/1, 23, 24 मु0नं0 44 के किला नं0 3 व 4 कुल 6.957 है0 में प्रतिवादी जयप्रकाश के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादीगण सं0 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि एसबीबीजे (एसबीआई) बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही वाद कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। वादपत्र में वर्णित शेष कृषि भूमि जयप्रकाश के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-8-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़